

मध्य प्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

//आदेश//

भोपाल, दिनांक 24/07/2019

क्रमांक एफ 09-04/2019/17/मेडि-1: मंत्रि-परिषद् के निर्णय दिनांक 05 जुलाई 2019 में प्रदेश में स्वीकृत 2000 नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्रों में नियमित ए.एन.एम. की नियुक्ति के संबंध में लिया गया निर्णय निम्नानुसार है:-

1. प्रदेश में उप स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए ए.एन.एम. के 2000 रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु दो वर्षों (प्रतिवर्ष एक हजार) में चरणबद्ध तरीके से भर्ती की जावे।
2. ए.एन.एम. की भर्ती प्रक्रिया, परीवीक्षा अवधि एवं परीवीक्षा अवधि में देय वेतन के संबंध में प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभाग एवं वित्त विभाग से परामर्श उपरांत पृथक से प्रस्तुत किया जावे।

उपर्युक्त निर्णय अनुसार तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अजय नथानियल)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ. क्रमांक एफ 09-04/2019/17/मेडि-1

भोपाल, दिनांक 24/07/2019

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, ग्वालियर मध्यप्रदेश।
2. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन लो.स्वा. एवं परि.क. विभाग, मंत्रालय भोपाल।
5. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय भोपाल।
6. आयुक्त, जन संपर्क, मध्यप्रदेश भोपाल।
7. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश भोपाल (कृपया आदेश वेबसाईड पर अपलोड कराने का कष्ट करें)
8. मिशन संचालक, एन.एच.एम. मध्यप्रदेश भोपाल।
9. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।
10. निज सचिव, माननीय मंत्री जी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
11. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
12. समस्त संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश भोपाल।
13. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
14. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मध्यप्रदेश।
15. समस्त सिविल सर्जन-सह-मुख्य अस्पताल अधीक्षक, मध्यप्रदेश।
16. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
16. स्टॉक फाईल।

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग